मंत्री लखनलाल देवांगन के विभागों के लिए 965 करोड़ 18 लाख रुपए से अधिक की अनुदान मांगें पारित

- वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के लिए 709 करोड़ 87 लाख रुपए और श्रम विभाग के लिए 255 करोड़ 31 लाख 9 हजार रुपए की अनुदान मांगें पारित
- नई औद्योगिक नीति के लागू होने के मात्र 125 दिनों में राज्य को मिले हैं 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक के 31 निवेश प्रस्ताव
- शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न योजना का सभी जिलों में किया जाएगा विस्तार

रायपुर

छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन के विभागों के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 965 करोड़ 18 लाख रूपए की अनुदान मांगे पारित की गई। इसमें वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से संबंधित व्यय के लिए 709 करोड़ 87 लाख रूपए तथा श्रम विभाग के लिए 255 करोड़ 31 लाख 9 हजार रूपए शामिल हैं।

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा का जवाब देते हुए विभागीय मंत्री लखनलाल देवांगन ने सदन में कहा कि राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए सरकार द्वारा 01 नवंबर 2024 से औद्योगिक विकास नीति 2024-30 लागू की गयी है। इसका मूल विषय अमृत काल छत्तीसगढ़ विजन-2047 रखा गया है। उन्होंने कहा कि पहली बार किसी राज्य ने अपनी नीति को विकास का आधार बनाकर रोजगार प्रदान करने पर जोर दिया है। इसके लिए श्रम-प्रधान उद्योगों को विशेष प्रोत्साहन दिया गया है, जो अधिकतम रोजगार प्रदान करने में सक्षम हैं। विशेषकर, जो इकाइयाँ 1000 से अधिक रोजगार सृजित करेंगी, उन्हें मंत्रिमंडलीय उपसमिति द्वारा अनुमोदित अतिरिक्त प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। इकाईयों के द्वारा दिव्यांगजन, सेवानिवृत्त अग्निवीर या आत्मसमर्पित नक्सली को रोजगार दिये जाने पर इस विषय पर विशेष अनुदान प्रदान किया जायेगा।

देवांगन ने सदन में बताया कि स्थानीय श्रमिकों को औपचारिक रोजगार में परिवर्तित करने के लिए प्रशिक्षण प्रोत्साहन का प्रावधान किया गया है। उद्योगों में नियोजित राज्य के निवासियों के प्रशिक्षण पर प्रति व्यक्ति 15 हजार रूपए की प्रशिक्षण वृत्ति प्रतिपूर्ति एवं कर्मचारियों पर होने वाले ईपीएफ व्यय की प्रतिपूर्ति का प्रावधान किया गया है। राज्य में पूंजी निवेश को आकर्षित करने के लिए औद्योगिक नीति 2024-30 के अंतर्गत स्थापित होने वाले औद्योगिक इकाइयों को ब्याज अनुदान, स्थायी पूंजी निवेश अनुदान, मार्जिन मनी अनुदान, गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुदान जैसे विभिन्न अनुदान एवं छूट प्रदान किए जाएंगे। नई औद्योगिक नीति में भूमि, भवन एवं बैंक ऋण पर स्टाम्प शुल्क भुगतान से पूर्ण छूट एवं 06 वर्ष से 10 वर्ष तक विद्युत शुल्क से पूर्ण छूट का प्रावधान किया गया है। इसमें कई सेवाओं के लिए प्रमाण पत्र की अनिवार्यता को समाप्त करते हुए स्व-घोषणा को मान्य किया जा रहा है, जिससे प्रक्रिया और भी सरल हो गई है।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री देवांगन ने बताया कि वर्तमान में राज्य में 34 औद्योगिक क्षेत्रो/पार्को की स्थापना की जा चुकी है एवं आने वाले समय में 4 नवीन औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है। राज्य के विभिन्न जिलो में नवीन फूड पार्क, रायपुर जिले में जेम्स एण्ड ज्वेलरी पार्क और प्लास्टिक पार्क, नवा रायपुर में फार्मास्युटिकल पार्क एवं जांजगीर-चांपा जिले में स्मार्ट इण्डस्ट्रियल पार्क की स्थापना की जाएगी। राज्य के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को स्वयं के उद्यम स्थापित करने के लिए प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्टैण्ड-अप इंण्डिया योजना एवं प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना के माध्यम से लाभान्वित किया जा रहा है। औद्योगिक नीति 2024-30 में युवाओं के लिये एक नई योजना छत्तीसगढ़ उद्यम क्रांति योजना का प्रावधान किया गया है, जिसमें ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा।

देवांगन ने सदन में बताया कि राज्य की औद्योगिक इकाईयों के अनुदान/छूट संबंधित प्रकरणों के निराकरण के लिए सिंगल विण्डो सिस्टम की व्यवस्था की गयी है, जिसमें प्रकरणों का समयावधि में निराकरण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार में बिना ठोस तैयारी के उद्योगों के साथ एम.ओ.यू. कर दिये जाते थे, जिससे राज्य को अपेक्षित लाभ नहीं मिल पाता था।

महत्वपूर्ण एवं खास

ट्रैक्टर से गिरकर युवक की मौत

रायपुर (आरएनएस)। तामासिवनी रोड ग्राम भूरका के पास ट्रैक्टर के इंजन में बैठा युवक अनियंत्रित होकर गिर गया। जिससे उसकी मौत हो गई। मामले में गोबरानवापारा पुलिस ने ट्रैक्टर चालक के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। मिली जानकारी के अनुसार मृतक शिवकुमार निषाद 37 वर्ष टीला नवापरा का रहने वाला था। बताया जाता है कि वह ट्रैक्टर चालक तेजराम चक्रधारी के साथ ट्रैक्टर में सवार होकर कहीं जा रहा था, तभी तामासिवनी रोड के ग्राम भूरका के पास शिवकुमार ट्रैक्टर के इंजन से नीचे गिर गया और उसके सिर में गंभीर चोट आई। जिससे उसकी मौत हो गई। मामले में गोबरानवापारा पुलिस ने ट्रैक्टर क्रमांक सीजी 04 पीडी 8268 के चालक तेजराम के खिलाफ अपराध दर्ज कर जांच में लिया है।

बाइक के हेण्डल में लटकी बैग पार

रायपुर (आरएनएस)। तिल्दा नेवरा स्थित सरकारी अस्पताल के पार्किंग में खड़ी बाइक के हेण्डल में टंगे बैग को अज्ञात चोर ने पार कर दिया। चोरी गए बैग में नकदी सहित हजारों रुपए का सामान था। प्रार्थिया की शिकायत पर नेवरा पुलिस ने अज्ञात चोर के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। मिली जानकारी के अनुसार प्रार्थिया बसंता रात्रे 50 वर्ष शीतलापारा हथबंद की रहने वाली है। प्रार्थिया ने थाना में शिकायत किया कि सरकारी अस्पताल के पार्किंग में खड़ी बाइक से अज्ञात चोर ने बैग पार कर दिया। चोरी गए बैग में 40 हजार रुपए नकदी, 4 तोला चांदी के पायल था। चोरी गए जुमला कीमती करीब 44 हजार रुपए के आसपास बताई जा रही है। प्रार्थिया की शिकायत पर नेवरा पुलिस ने अज्ञात चोर के खिलाफ अपराध दर्ज कर जांच में लिया है।

रायपुर से झारखंड लाते समय पुलिस और कुख्यात गैंगस्टर अमन साव के बीच मुठभेड़, गैंगस्टर ढेर

रायपुर (आरएनएस)। रायपुर से झारखंड वापस लाते समय पुलिस और कुख्यात गैंगस्टर अमन साव के बीच मंगलवार की सुबह पलामू जिले में मुठभेड़ हो गई, जिसमें गैंगस्टर अमन साव के मारे जाने की जानकारी सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि रांची पुलिस की टीम रायपुर से पूछताछ के लिए अमन साव को रांची ला रही थी। इस दौरान पलामू में पुलिस की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। पुलिस का हथियार छीनने के बाद अमन साव भागने की कोशिश करने लगा, जिसके बाद पुलिस ने उसे रोकने की कोशिश की। इस दौरान गैंगस्टर ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसके जवाब में रांची पुलिस ने भी फायरिंग की। इस मुठभेड़ में अमन साव ढेर हो गया। पलामू एसपी ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि घटनास्थल पर एंबुलेंस भेज दी गई है। डीआईजी वाईएस रमेश ने भी इस घटना की पुष्टि की है।

घर में लगी आग से पांच गाडिय़ां जलकर खाक

दुर्ग-रायपुर (आरएनएस)। थाना पुलगांव क्षेत्र के विद्युत नगर में एक घर में अचानक भडक़ी आग से अफरातफरी मच गई। मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने तत्काल आग बुझाना शुरू किया, इस दौरान घर के कई कीमती सामान सहित चार एसी और पांच गाडिय़ां जलकर नष्ट हो गई। बताया जाता है कि कमला देवांगन के घर आग लगने की सूचना मिलते ही अग्निशमन की टीम मौके पर पहुंच गई थी। दमकल टमों ने तत्काल मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। इस दौरान घर में रखा एक टाटा नेक्सॉन, पांच गाडिय़ां और चार एसी जलकर राख हो गए। घर से करीब 7 गैस सिलेंडरों को भी बाहर निकाला। आग लगने का कारण फिलहाल अज्ञात है।

शांति समिति की बैठक

होली पर्व पर पुलिस चौकस, शांति और सौहार्द के लिए व्यापक तैयारियां

रायगढ़

जिले में होली पर्व को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। पुलिस अधीक्षक दिव्यांग कुमार पटेल के निर्देशन में जिले के सभी थानों में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न समाजों के गणमान्य नागरिकों, जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में पुलिस अधिकारियों ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी किए और नागरिकों से सहयोग की अपील की।

थाना प्रभारियों ने बैठक में जानकारी दी कि होली को लेकर पुलिस ने अतिरिक्त पेट्रोलिंग शुरू कर दी है। सार्वजनिक स्थानों पर हुड़दंग रोकने के लिए सख्ती बरती जा रही है। खासतौर पर शराब पीकर वाहन चलाने वालों, मॉडिफाई साइलेंसर लगाकर तेज आवाज करने वालों और सड़क पर जन्मदिन मनाने जैसी गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। पुलिस ने स्पष्ट किया कि अराजकता फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

बैठक में मौजूद जनप्रतिनिधियों और सामाजिक संगठनों के माध्यम से पुलिस ने नागरिकों से अपील की कि वे जिम्मेदार नागरिक का परिचय दें और भाईचारे के साथ होली मनाएं। बिना सहमति किसी को रंग न लगाएं, झगड़े-फसाद से दूर रहें और केमिकल युक्त ग्रीस, ऑयल व कीचड़ का उपयोग न करें। साथ ही, शराब पीकर वाहन न चलाने, मुखौटा लगाकर भय का माहौल न बनाने और महिलाओं, बच्चों एवं बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखने की अपील की गई।

जिले में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम

कोतवाली थाना परिसर में हुई शांति समिति की बैठक में नव-निर्वाचित पार्षदगण और मुस्लिम समाज के गणमान्य सदस्य उपस्थित रहे, जहां आगामी त्योहार को सौहार्दपूर्ण ढंग से मनाने की अपील की गई।

इसी तरह, थाना भूपदेवपुर, छाल और पुसौर में भी शांति समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें ग्राम कोटवारों को सम्मानित किया गया। वहीं, थाना धरमजयगढ़ पुलिस ने क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकालकर शांति और सुरक्षा का संदेश दिया। त्योहार की आड़ में कानून-व्यवस्था भंग करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। रायगढ़ पुलिस की प्राथमिकता शांति और सौहार्द बनाए रखना है, जिससे सभी लोग सुरक्षित वातावरण में होली का पर्व मना सकें।

वनोपज खैर लकड़ी का अवैध परिवहन करते ट्रक जप्त, आरोपी गिरफ्तार

कबीरधाम | आरएनएस

थाना चिल्फी पुलिस ने अवैध रूप से वनोपज खैर लकड़ी का परिवहन कर रहे एक ट्रक को जप्त किया है। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने एनएच-30 पर सघन चेकिंग अभियान चलाया, जिसके दौरान ट्रक को रोका गया और जांच की गई।

विश्वसनीय मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने ट्रक (क्रमांक जेएच 09 बीसी 6264) को रोका, जिसमें चालक रंजित सिंह (20 वर्ष, निवासी थाना कत्थूनंगल, जिला अमृतसर, पंजाब) अवैध रूप से खैर लकड़ी का परिवहन कर रहा था। मौके पर वाहन की तलाशी ली गई, लेकिन कोई वैध दस्तावेज़ प्रस्तुत नहीं किया गया। आरोपी ने बताया कि यह लकड़ी सरायपाली के अविनाश उर्फ सन्नी चांवला द्वारा लोड कराई गई थी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 94 बीएनएसएस का नोटिस जारी किया और उसे गिरफ्तार कर लिया। इसके अलावा, वाहन को बोड़ला के लक्ष्मीनारायण धर्मकांटे में तौल कराया गया। पुलिस ने आरोपी के पास से ट्रक, खैर लकड़ी, दस्तावेज, ट्रक का रजिस्ट्रेशन कार्ड जब्त किया है।

देर रात तक चलती रही ईडी की जांच

भिलाई-रायपुर | आरएनएस

दुर्ग में प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने हाल ही में कई प्रमुख स्थानों पर दबिश दी। इस कार्रवाई के तहत कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री एवं लोकसभा सांसद कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र साहू, होटल कैम्बियन के मालिक एवं राइस मिलर कमल अग्रवाल, बिल्डर मनोज राजपूत, राइस मिलर विनोद अग्रवाल, भिलाई जिला कांग्रेस अध्यक्ष एवं वैशाली नगर विधानसभा कांग्रेस प्रत्याशी मुकेश चंद्राकर, सहेली ज्वेलर्स के मालिक सुनील जैन और स्टाम्प वेंडर संतोष स्वर्णकार के घर और कार्यालयों में छापेमारी की गई। सबसे अधिक समय तक जांच राजेंद्र साहू और मनोज राजपूत के निवास पर चली। मनोज राजपूत के नेहरू नगर स्थित मकान में सुबह से शाम तक कार्रवाई जारी रही। इसके बाद उनकी लेआउट साइट ऑफिस पर भी रात 10:30 बजे तक जांच चलती रही। जांच के दौरान ईडी की टीम ने मनोज राजपूत के घर से कंप्यूटर हार्ड डिस्क, मोबाइल और कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए। ईडी ने मनोज राजपूत से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके बेटे चैतन्य बघेल के साथ संबंधों की जानकारी मांगी। इसके अलावा उनके करोड़ों के घर और बड़े प्रोजेक्ट में लगाई गई राशि का भी विवरण पूछा गया। कांग्रेस नेता राजेंद्र साहू के निवास पर देर शाम तक जांच जारी रही। जैसे-जैसे शाम ढलती गई, उनके समर्थक और कांग्रेस के अन्य नेता उनके घर के बाहर एकत्रित हो गए। नाराज समर्थकों ने कार्यवाही के विरोध में जमकर नारेबाजी भी की। आखिरकार देर रात ईडी की टीम ने अपने साथ कई महत्वपूर्ण दस्तावेज लेकर अपनी जांच समाप्त की।

यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों से 2 माह में पुलिस ने वसूला 50 लाख

दुर्ग-रायपुर | आरएनएस

पुलिस अधीक्षक दुर्ग, जितेन्द्र शुक्ला द्वारा यातायात नियमो का पालन न करने वाले पर कार्यवाही करने के दिये गये निर्देश के परिपालन में एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (यातायात) दुर्ग, ऋचा मिश्रा के मार्ग दर्शन में तथा उप पुलिस अधीक्षक (यातायात), सतानंद विध्यराज के नेतृत्व में यातायात पुलिस दुर्ग द्वारा लगातार ऐसे वाहन चालको पर मोटर व्हीकल एक्ट की धाराओं के तहत कार्यवाही की जा रही है। यातायात पुलिस दुर्ग द्वारा विगत 02 माह में कुल-12609 यातायात नियमों का पालन ना करने वाले वाहन चालको पर कार्यवाही करते हुए 50 लाख 2 हजार रूपये समन शुल्क वसूल किये गये है। यातायात पुलिस के इस कार्यवाही में सबसे अधिक दो पहिया वाहन चालन के दौरान हेलमेट ना लगाने वाले 2692 वाहन चालको पर एवं आवागमन के मार्ग में बाधा उत्पन्न करने वाले 1981 वाहन चालको पर मोटर व्हीकट एक्ट के तहत कार्यवाही की गई, इसके अतिरिक्त दो पहिया वाहन में तीन सवारी, तेज गति वाहन चालन, मोबाईल का उपयोग करते वाहन चलाने वाले, यातायात संकेत का उल्लंघन करने वाले, चार पहिया वाहन काली फिल्म लगाने वाले एवं शराब का सेवन कर वाहन चलाने वालो पर कार्यवाही की जा रही है, साथ ही संदिग्ध वाहन एवं वाहनो में हुटर, नीली बत्ती एवं सायरन लगाकर घूमने वाले वाहन चालको के खिलाफ भी मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्यवाही कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही किये जाने हेतु संबधित थानो के सुपुर्द किया गया। यातायात पुलिस दुर्ग द्वारा जनवरी माह में सडक सुरक्षा माह के दौरान 78 जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से 54,776 लोगो यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया गया है। यातायात पुलिस आम नागरिको से अपील करती है कि वें स्वयं एवं दूसरो की सुरक्षा के लिए यातायात नियमों का पालन कर अपने दायित्वों का निर्वहन करें।

चोरी की घटना को अंजाम देने वाले 08 आरोपी गिरफ्तार

- कुल 27 पुलिस अधिकारी कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र देकर किया गया सम्मानित

बलौदाबाजार | आरएनएस

बलौदाबाजार-भाटापारा पुलिस द्वारा भाटापारा क्षेत्र अंतर्गत सिलसिलेवार चोरी की घटना को अंजाम देने वाले अंतर जिला गैंग का भंडाफोड़ कर 08 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इसमें से एक मुख्य आरोपी अजय राठौर को गोवा के समुद्री बीच से गिरफ्तार किया गया था। इस अंतर जिला गैंग द्वारा सिंडिकेट के रूप में चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया जाता था। की प्रकरण में चोरी करने वाले आरोपी अजय राठौर, माल खपाने वाले 05 आरोपी एवं 02 आरोपी खरीदारों को गिरफ्तार किया गया था। इसके साथ ही पुलिस टीम को आरोपियों से सोने चांदी के जेवर, 03 नग मोटरसाइकिल, नगदी 55,000 सहित कुल 12,50,000 कीमत मूल्य का सामान बरामद करने में सफलता मिली। थाना सिटी कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत ग्राम परसाभदेर में मृतक ज्ञानेश मिश्रा के अंधे कत्ल के मामले का 24 घंटे के भीतर पर्दाफाश कर 02 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। मामले में आरोपियों द्वारा फ्लिपकार्ट के माध्यम से ऑनलाइन चाकू मंगाया गया था, जिसकी सहायता से ताबड़तोड़ वारकर मृतक ज्ञानेश मिश्रा की हत्या कर दी गई थी। प्रकरण में दो आरोपी साहिल गेण्डरे एवं अमन मारिस पीटर को गिरफ्तार किया गया था। उक्त दोनों मामलों में पुलिस टीम द्वारा अथक लगन, मेहनत एवं सराहनीय कार्य कर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा दोनों मामलों में पुलिस टीम में शामिल अधिकारी-कर्मचारियों द्वारा किए गए कार्यों की सराहना एवं प्रशंसा करते हुए आज दिनांक 11 मार्च को पुलिस कार्यालय सभाकक्ष में पुलिस टीम के सभी 27 सदस्यों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने महिला पत्रकारों का किया सम्मान

- महिला पत्रकारों ने साझा किए पत्रकारिता के अनुभव और चुनौतियाँ
- महिला पत्रकारों ने मुख्यमंत्री के साथ लंच की और सेल्फी भी लिए

सारंगढ़ बिलाईगढ़

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने मुख्यमंत्री आवास में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आयोजित "महतारी वंदन अभिनंदन" कार्यक्रम में महिला पत्रकारों को सम्मानित किया। कार्यक्रम के दौरान वरिष्ठ महिला पत्रकारों ने मीडिया में महिलाओं की भूमिका पर खुलकर चर्चा की। महिला पत्रकारों ने कहा कि महिला पत्रकार राजनीति, अपराध, खेल सहित हर क्षेत्र में बेहतरीन प्रदर्शन कर सकती हैं, बशर्ते उन्हें बराबरी का अवसर मिले। उन्होंने कामकाजी महिलाओं के लिए बनाए जा रहे छात्रावासों की सराहना की और कहा कि यह पहल महिलाओं को घर से दूर भी सुरक्षित माहौल प्रदान करेगी। इससे अब अभिभावक अपनी बेटियों के कैरियर को लेकर निश्चिंत हो सकेंगे। उन्होंने पत्रकारों की सम्मान निधि रु.10,000 से बढ़ाकर रु.20,000 करने के फैसले के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया। उन्होंने कहा कि यह निर्णय पत्रकारों के हित में एक महत्वपूर्ण कदम है।

महिला पत्रकारों ने मुख्यमंत्री निवास में सम्मान समारोह आयोजित करने पर खुशी जताई और कहा कि ऐसा लग रहा है जैसे एक पिता ने हमें अपने घर बुलाया हो। उन्होंने कहा कि यह पहल महिला पत्रकारों के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है।अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर प्रदेश में पहली बार इस तरह का विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि महिलाएँ समाज निर्माण की सशक्त धुरी हैं, और महिला पत्रकार अपनी लेखनी से सामाजिक परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।

महिला पत्रकारों ने मुख्यमंत्री साय के साथ लंच किया और उनके साथ सेल्फी भी ली। मुख्यमंत्री साय ने महिला पत्रकारों के लिए भविष्य में नई योजनाओं पर विचार करने का भरोसा दिलाया और कहा कि सरकार महिला पत्रकारों को हरसंभव सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध है।

SJU - Contact No. +91 9301915303 E-mail ID- sjunion29@gmail.com
Social Justice Union
Registered with Govt. No. 5526
Join SJU
अधिकार से न्याय तक
आवश्यकता
इस संघ का गठनसम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में पीड़ितो को न्याय दिलाने के लिए किया गया है, जिसे छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त है, जिसका क्रमांक 5526 है, तथा सम्पर्क हेतु नं0 9301915303 है। इस संघ के गठन पर संघ के संरक्षक एवं लीगल एडवाईज़र श्री तथागत श्रीवास्तव (अधिवक्ता, माननीय उच्च-न्यायालय), एवं गवर्निंग बोर्ड के सदस्यों कु0 सी.बी.वर्मा, श्रीमती ऐकता श्रीवास्तव, श्रीमती रजनी राकुन्डे एवं अन्य ने शासन को धन्यवाद ज्ञापित किया, और कहा कि संघ के पास सामाजिक अन्याय अथवा मानवाधिकार हनन सम्बंधी तथ्य के प्रस्तुत होने पर, उसे लिखित में शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन एवं सक्षम व्यक्तियों के समक्ष संघ की ओर से प्रस्तुत किया जावेगा। साथ ही, विधि, न्याय सम्बंधी कार्य हाथ में लेकर बेसहारा, गरीब, परित्यक्ता, विधवाओं के उत्थान के लिए कार्य किया जावेगा।
उद्देश्य एवं नियुक्तियां
मुख्य रूप से संघ का उद्देश्य छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर में सामाजिक न्याय हेतु प्रचार-प्रसार करना, तथा मानवाधिकार हेतु जागरूकता पैदा करना है। संघ साक्षरता एवं अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से मानवाधिकार के सम्बंध में प्रचार प्रसार करना चाहता है। इस हेतु प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर पर सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार संरक्षण केन्द्र की स्थापना की जावेगी, और उनमें संघ के द्वारा आधिकारिक नियुक्तियाँ की जावेंगी। प्रत्येक व्यक्ति इस संघ में सदस्य बन सकता है, जिसके लिए संघ के द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तो का पालन किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु सदस्यता फार्म संघ के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध है।
मुख्य बिन्दु
प्रताड़ित एवं पीड़ित व्यक्ति की समस्याओं को सुनना, आवेदन लेना तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उचित साधन एवं संसाधनों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पीड़ित व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक समस्या पर विधिनुसार एवं संविधान के अनुसार आवश्यक मदद की जावेगी।
पीड़ित संपर्क करें
संघ विशेष रूप से मानवाधिकार दिलाने एवं सामाजिक न्याय प्राप्ति हेतु पीड़ित मानव की हर संभव मदद करेगा तथा इस हेतु पीड़ित मानव के लिए भारतीय संविधान के तहत् विधिक सहायता की व्यवस्था आवश्यकतानुसार करेगा। यदि कोई पीड़ित है तो इस संघ से सम्पर्क कर सकता है।
अन्य बिन्दु
- संघ पर्यावरण संरक्षण एवे पर्यावारण सम्बंधी चेतना हेतु भी जागरूकता लाने का प्रयास करेगा।
- पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में महिलाओं के अधिकार, श्रमिकों के अधिकार, आदिवासियों के अधिकार, अनुसूचित जाति-जनजातियों के अधिकारों के सम्बंध में विधिक एवं संवैधानिक रीति के कार्यक्रमों को इस संघ द्वारा संचालित किया जावेगा तथा प्रत्येक पीड़ित को उसके कर्तव्यों एवं अधिकारों के बारे में सचेत किया जावेगा। न्याय प्राप्ति हेतु हर संभव मदद की जावेगी।
- संघ शासन से मान्यता प्राप्त है, अतः शासन एवं प्रशासन में विभिन्न पदों पर आसीन् तक पीड़ित की परेशानी को आसानी से पहुँचाया जा सकता है। इस हेतु संघ शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्तियों से मुलाकात कर पीड़ित को न्याय दिलाने में समस्त सहायता भी करेगा।
- संघ द्वारा संवैधानिक शिक्षा एवं सामाजिक विकास से सम्बंधित रिसर्च कार्यक्रम किए जावेंगे, एवं समान उद्देश्यों वाली अंतराष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया जावेगा।
- संघ सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कार्यशाला का आयोजन भी करेगा। संघ देश के भूले बिसरे पर महान विभूतियों के सम्मान में कार्यक्रम भी आयोजित कराएगा।
पढिए .... न्यायसाक्षी समाचार-पत्र
:: Address :: Behind Stadium Near Career School, Raigarh, C.G. Pin 496001
www.nyaysakshi.com
सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।
Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU